कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण/2019 दिनांक–29.09.2019 के तहत् श्री हेमराज गुप्ता, व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि कैलाई सिकराय, दौसा का स्थानांतरण राउमावि राजौरगढ, राजगढ, अलवर किया गया। श्री हेमराज गुप्ता ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3473/2019 श्री हेमराज गुप्ता बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3473/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2019 द्वारा अपीलार्थी श्री हेमराज गुप्ता को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश **(REASONED SPEAKING ORDER)** द्वारा अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री हेमराज गुप्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के वृद्ध माता–पिता की देखभाल व पिता के हृदयघात की बीमारी से ग्रसित होने के आधार पर अपना समायोजन राउमावि संदर्भ व्यक्ति सीबीईओ, सांगानेर, जयपुर/कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान, दौसा/डाईट बसवा, दौसा/राउमावि सालावास कलां, बांदीकुई, दौसा एवं राउमावि बडियाल बांदीकुई, दौसा की परिवेदना प्रस्तुत की गई। तत्समय अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग को तर्कसंगत नहीं मानते हुए निदेशक महोदय द्वारा अन्यत्र पदस्थापन की मांग को खारिज कर दिया गया। चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रकरण निस्तारण होने की अवधि तक माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका संख्या 18358/2019 दायर कर स्थगन प्राप्त किया गया। प्रकरण का निस्तारण दिनांक 20.12.2019 को किया जा कर अपीलार्थी को स्थानांतरित स्थान राउमावि राजौरगढ ,राजगढ अलवर में कार्यग्रहण करने बाबत निर्देशित किया गया था, लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त स्थान पर निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण नहीं किया गया। कार्मिक ने राउमावि बडियाल खुर्द, बांदीकुई, दौसा में पदविरूद्व कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक के स्थान पदस्थापन/समायोजन की मांग की हैं साथ ही वेतन आहरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि श्री हेमराज गुप्ता दिनांक 20.12.2019 की पालना न कर स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहा है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय भगवानदास मितल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2)276 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–**" So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the state wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial . It does not involve violation of service Rule."** उच्चतम न्यायालय के शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य के प्रकरण तथा पंजाब राज्य जोगेन्द्र सिंह के प्रकरण एवं राजस्थान उच्च न्यायालय भगवान दास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान में प्रदत्त निर्णयों के तहत प्रकरण के तथ्यों , अभिवचनों एवं अभिलेख के आधार पर अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी है तथा उसे राज्य के किसी भी विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है और आलोच्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक वैध आदेश है। अपीलार्थी द्वारा आलोच्य स्थानांतरण आदेश को चुनौती देकर इच्छित स्थान पर मांग की जानी उचित नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा पूर्व में निस्तारित अभ्यावेदन की पालना में आज दिनांक तक निर्धारित स्थानांतरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है जो कि विभागाध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना है और कार्य के प्रति इनकी विमुखता को प्रदर्शित करता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2)276 में दिये गये निर्णय के अनुसार किसी भी लोक सेवक को जहां उसे पदस्थापित किया गया वहां कार्य करना होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदस्थापित किये जाने से उसके विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नही होता। किसी भी लोक सेवक द्वारा अपने इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती ।

अपीलार्थी को समीपवर्ती जिले अलवर में ही पदस्थापित किया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं कर अपीलार्थी द्वारा पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जो यह प्रदर्शित करता है कि अपीलार्थी अपने इच्छित स्थान पर बने रहना चाहता है जो किसी लोकसेवक के लिए सर्वथा अनुचित है। उक्तानुसार अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमाकूल नहीं होने के कारण अभ्यावेदन अस्वीकार कर उसका पुनः निस्तारण किया जाता है। अपीलार्थी श्री हेमराज गुप्ता को आदेशित किया जाता है कि वे आगामी तीन दिवस में स्थानांतरित स्थान राउमावि राजौरगढ, राजगढ, अलवर में कार्यग्रहण कर इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक श्री हेमराज गुप्ता के विरूद्ध राजस्थान सेवा नियम 86 के तहत स्वैच्छा से अनुपस्थित की कारवाई अमल में लाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवायें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/अ.3473/19/हेमराज/2020/114 दिनांकः–03/07/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1.संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2.संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा.............................।
3.जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
4.मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी...।
5.जि.शि.अ. (माध्य–विधि) ....।
6.विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8.संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि. ....।
9.गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर